

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020-21/ 1270

दिनांक: 4 नवम्बर, 2020

प्राचार्य,
समस्त विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रोन्नत कर प्रवेश देने बाबत।
सन्दर्भ:- BCI का प्रेस नोट दिनांक 01.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार लेख है कि विधि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अस्थाई रूप से प्रोन्नत कर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों द्वारा डिग्री से पूर्व में सामान्य स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑफलाइन/ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ:-

1. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।

4.11.20

संयुक्त निदेशक(अकादमिक),